छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

योजना का स्वरूप

1. प्रस्तावना :–

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की घोषणा 15 अगस्त 2000 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी तथा यह योजना 25 दिसम्बर, 2000 को प्रारंभ की गई है । इस योजना के लिए धन की व्यवस्थ मुख्यतः डीजल पर लगाये गये उपकर की 50 प्रतिशत् राशि जो ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिये आरक्षित है, से होती है । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ किया गया हे तथा इस योजना के प्रारंभ होने से ग्रामीण क्षेत्रों की बिना जुड़ी बसाहटों को न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा मुख्य बाजार हाट केन्द्र तक पहुंच होने से आर्थिक कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शत् प्रतिशत् केन्द्र प्रायोजित कार्यक है ।

छत्तीसगढ़ में यह कार्यक्रम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के माध्यम से संपादित किया जा रहा है । इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों, ग्रामीण सड़क नियमावली, ग्रामीण सड़को के मानक विर्निदेश एवं गुणवत्ता नियंत्रण से किया जा रहा है ।

योजना के क्रियान्वयन में प्रारंभ से लेकर अंत तक समस्त गतिविधियां जैसे जिला ग्रामीण सड़क योजना एवं कोर नेटवर्क में तैयार किया जाना, प्राथमिकता के आधार पर सड़को का चयन कर उनका सर्वेक्षण करना एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेतन तैयारकरना तथा प्राक्कलन तैयार करना निविदाएं बुलाना, निर्माण कार्य का क्रियान्यन, परियोजना को पूर्ण करना एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात् संधारण की समग्र निगरानी एवं क्रियान्वयनहेतु राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण का गठन 25 मार्च, 2003 को किया गया है जो छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत एक पंजीकृत संस्था है ।

2. उद्देश्य :–

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों मे सड़क से न जुड़ी बसाहटों को बहतर बारहमासी सड़कों (आवश्यक पुलियों और क्रास–ड्रेनेज ढांचो, जो साल भर काम करने लायक हों के साथ) के जरिए सड़क संपर्क इस तरह से मुहैया कराना है कि 1000 और इससे अधिक की आबादी वाली सभी बसाहटें वर्ष 2009 तक (आदिवासी क्षेत्रों में 500 और इससे अधिक की आबादी वाली सड़को से बिना जुड़ी सभी बसाहटें) जोड़ने का लक्ष्य है । शेष बसाहटें राशि की उपलब्धता के आधार पर जोड़ी जावेंगी ।

3. <u>प्रमुख बिन्दु (निर्धारित मापदण्ड)</u> –

जनगणना 2001 में दर्ज की गई जनसंख्या बसाहट के जनसंख्या आकार को निर्धारित करने का आधार होनी चाहिए तथा इसी के आधार पर जिला ग्रामीण सड़क योजनाएँ ओर कोरनेटवर्क बनाए/संशोधित किए जाने चाहिए ।

सड़कों से न जुड़ी बसावट वह बसाहट है जिसमें निर्दिष्ट आकार की जनसंख्या है जो बारहमासी सड़क अथवा सड़क से जुड़ी बसाहट से कम से कम 500 मीटर या इससे अधिक (पहाडों के मामले में 1.5 कि.मी. पैदल दूरी पर स्थित है ।

सड़कों से न जुड़ी बसावटों को बारहमासी सड़क अथवा अन्य मौजूदा बारहमासी सड़क से पहले से ही जुड़ी समीपवर्ती बसाहटों से जोड़ा जाना होता है जिससे सड़कों से न जुड़ी बसाहट में प्राप्त न होने वाली सेवाएं (शिक्षा, स्वास्थ्य, विपणन सुविधाएं आदि) निवासियों को मिल सकें ।

कोरनेटवर्क सड़कों (रूटस) का ऐसा अल्प नेटवर्क है जो कम से कम एक बारहमासी सड़क संपर्कता के जरिए चुनिंदा क्षेत्रों में सभी पात्र बसाहटों को अनिवार्य सामाजिक आर्थिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जरूरी है ।

कोरनेटवर्क में थ्रू रूटस और लिंक रूट्स शामिल है । थ्रू रूट वे हैं जिनसें कई संपर्क सड़कों या कई गांवों से ट्रेफिक आकर चलता हे और यह उच्च श्रेणी की सड़कों अर्थात् जिला सड़कों या राज्य अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग के जरिए सीधे विपणन केंद्रो से जुड़े होते हैं । लिंक रूट वे सड़कें हैं जो किसी एक बसाहट या बसाहटों के एक समूह को थ्रू रूटों या जिला सड़कों से जोड़ती हैं और ये विपणन केन्द्रों तक जाती है । लिंक रूट सामान्यतः किसी बसाहट की सीमा खत्म होने पर समाप्त हो जाते हैं हालांकि थ्रू रूट दो या अधिक लिंक रूटों को मिलाकर तथा मुख्य सड़क या विपणन केन्द्र से उत्पन्न होते हैं ।

यह सुनिश्चित किया जाए कि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत शुरू किया गया प्रत्येक सड़क कार्य कोर नेटवर्क का भाग है । सड़क संपर्क के उददेशय को ध्यान में रखते हुए उन सड़कों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो संयोगवश अन्य बसाहटों के काम आती हैं दूसरे शब्दों में मूल उद्देशय (2003 तक 1000+/500+ बसाहटों तथा 2007 तक 500/250 बसाहटों को शामिल करना) से समझौता किए बिना उन सड़कों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो अधिक आबादी के काम आती है । इस प्रयोजनार्थ, हालांकि मैदानी क्षेत्रों में सड़क से 500 मीटर की दूरी वाली बसाहटों को सड़क से जुड़ा हुआ माना गया है, पर्वतीय क्षेत्रों यह दूरी 1.5 कि.मी. (पथ की लंबाई) होनी चाहिए ।

पीएमजीएसवाई में केवल एकल सड़क संपर्क की ही व्यवस्था है । यदि कोई बसाहट पहले की बारहमासी सड़कों के जरिए किसी अन्य सड़क से जुड़ी बसाहट से जुड़ी हुई है तो उस बसाहट में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कोई अन्य कार्य शुरू नहीं किया जा सकता है ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनायी गयी ग्रामीण सड़कें तकनीकी विशिष्टताओं के अनुरूप हों । इसमें ग्रामीण सड़क नियमावली पुस्तिका (आई आर.सीः एस पी 20:2002) में बताए अनुसार इण्डियन रोड्स कांग्रेस द्वारा निर्धारित विशिष्टताओं को अपनाया जाएगा ।

4. योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया (निर्णय लेने की प्रक्रिया) –

यह योजना सर्वप्रथम ब्लाक स्तर पर तैयार की जायेगी, जो नियमावली में निहित निर्देशों एवं जिला पंचायत द्वारा बतायी गयी प्राथमिकताओं के अनुरूप होगी । संक्षेप में विद्यमान सड़क नेटवर्क तैयार किया जायेगा, सम्पर्क विहीन बसाहटों का निर्धारण किया जायेगा और इन सम्पर्कविहीन बसाहटों को जोड़ने के लिये अपेक्षित सड़कें बनाई जायेंगी । इससे ब्लाक स्तरीय मास्टर प्लान बन पाएगा ।

एक बार यह कार्य पूरा हो जाता है, तो विद्यमान और प्रस्तावित सड़क सुविधाओं का बेहतर उपयोग कर ब्लाक के लिये कोर नेटवर्क इस तरह से बन जायेगा कि समस्त पात्र बसाहटों को आधारभूत पहुँच बसाहट या एक बारहमासी सड़क से 500 मीटर (पहाडों में 1.5 कि.मी. की पथ दूरी) के अन्दर हो । प्रस्तावित रोड सम्पर्कों का नक्शा बनाते समय, लोगों की अपेक्षाओं को सामाजिक–आर्थिक/अवसंरचनात्मक मूल्यों (सड़क तालिका) को उपयुक्त वेटेज देकर और अधिकतम सड़क तालिका को चयन के लिये समेकित करते हुए ध्यान में रखा जाना चाहिये ।

ब्लाक स्तरीय मास्टर प्लान और कोर नेटवर्क को इसके पश्चात् कोर नेटवर्क को विचारार्थ एवं अनुमोदन के लिए मध्य स्तरीय पंचायत के समक्ष पेश किया जाता है । इसके बाद ही, इसे समस्त सम्पर्कविहीन बसाहटों की सूची के साथ सांसद सदस्यों एवं विधायकों के पास उनकी टिप्पणियों के लिए, यदि कोई हो, भेज दिया जाता है । मध्य स्तरीय पंचायत द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद योजनाओं को जिला पंचायत के समक्ष उनकी स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा । यह जिला पंचायत का दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि सांसद सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर पूर्ण विचार किया जा रहा है, जो इन दिशा–निर्देशों के फ्रेमवर्क के अन्दर हो । जिला पंचायत द्वारा एक बार स्वीकृति मिलने के बाद कोर नेटवर्क की एक प्रति राज्य–स्तरीय एजेन्सी के साथ–साथ राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी को भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कोई सड़क नए सम्पर्क या सुधार (जहॉ अनुमति दी गई हो) के लिये तक तक प्रस्तावित नहीं की जा सकती जब तक कि यह कोरनेटवर्क का हिस्सा नही बन जाती है ।

योजना के क्रियान्वयन में प्रारंभ से लेकर अंत तक समस्त गतिविधियूं जैसे जिला ग्रामीण सड़क योजना एवं कोरनेटवर्क में तैयार किया जाना, प्राथमिकता के आधार पर सड़कों का चयन कर उनका सर्वेक्षण करना एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना तथा प्राक्कलन तैयार करना, निविदाएँ बुलाना निर्माण कार्य का क्रियान्वयन, परियोजना को पूर्ण करना एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात संधारण की सामग्री निगरानी एवं क्रियान्व्यन हेतु राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण कर गठन 25 मार्च 2003 को किया गया है जो छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गतएक पंजीकृत संस्था है ।

योजना के समग्र क्रियान्वयन हेतु मैदानी स्तर पर प्रत्येक जिले में समर्पित जिला परियोजना क्रियान्वयन इकाई स्थापित किया गया है जो योजना तैयार करने से लेकर क्रियान्वयन तक के लिये जवाबदेह है । विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने तथा योजना को गति देने के लिये जिले के कलेक्टर को इसका अध्यक्ष बनाया गया है तथा कार्यपालन अभियंता इस परियोजना क्रियान्वयन इकाई के सदस्य सचिव हैं ।

5. योजना के लाभ हेतु संपर्क करें –

योजना के लाभ हेतु निम्न कार्यालयों में सम्पर्क किया जा सकता है :–

<u>जिला स्तर पर</u>

1. कलेक्टर एवं अध्यक्ष, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ।
2. कार्यपालन अभियंता–सह–सदस्य सचिव, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ।